

16<sup>9</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पैश हुई, वकील पार्टी व पार्टी को  
आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज  
लगाने के बावजूद भी वकील पार्टी व  
पार्टी न्यायालय में हाजिर नहीं होने  
पर पार्टी का आवेदन अन्ततः धारा  
136 L.R. सिटि अधिनियम अधम हाजरी  
अधम परती में खारीज किया जाता है  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर  
के क्रम होकर वाखल सत्क हो। *Signature*

सपखण्ड अधिकारी दातारामगढ